उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 /2017/146(120)/XXVII(8)/2008 देहरादूनः दिनांकः 25 जनवरी, 2017

अधिसूचना

चुंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) संपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची !!! में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

अनुसूची !!! के क्रमांक 4 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात:--

क्रम संख्या	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
4	एविएशन टरबाईन पयूल	नि0 या आ0	1 प्रतिशत

(बी0बी0मठपाल) अपर सचिव

सं0 62 / 2016 / 146(120) / XXVII(8) / 2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

 आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आंशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-- 8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4-अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5-रन0आई०सी० 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेडा)

अन् सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No $\frac{6L}{2017/146(120)}$ XXVII(8)/ 2008 dated January, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand Finance Section-8 No.62/2017/146(120)/ XXVII(8)/2008 Dehradun:: Dated:: 25 January, 2017

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendment in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

1- In Schedule III, for the existing entry at serial no. 4, the following entry shall be substituted, namely -

Sr. No.	Description of goods	Point of	Rate of tax
		Tax	Percentage
4	Aviation Turbine Fuel	M or I	1 Percent

(B.B.Mathpal) Additional Secretary